संख्या-411/2023/1131रासनि/23-1-23/002-03(ए)/आरएसएन-बीएएन/23

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 15 मई, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से बांदा मण्डल के विभिन्न जनपदों के 19 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-3923/CE-HQ1/RSN3054/BAN/2023-24, दिनांक 27.04.2023, पत्र संख्या-3998/CE-HQ1/RSN3054/BAN/2023-24, दिनांक 29.04.2023, पत्र संख्या-4069/CE-HQ1/RSN3054/BAN/2023-24, दिनांक 01.05.2023 एवं पत्र संख्या-4118/CE-HQ1/RSN3054/BAN/2023-24, दिनांक 03.05.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार बांदा मण्डल के विभिन्न जनपदों के 19 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 9,41,18,000/- (रूपये नौ करोड़ इकतालीस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा.ख. महोबा	महोबा से मटौंध मुस्करा वाया ग्योंडी मार्ग	437 /2022/1032 रासनि/23-1-2022/001-48 आरएसएन/2022 टीसी-1 दि 25.11.2022-दिनांक-25-11-2022	109.63 109.63 88.95 0.04 **109.59**	27.41	82.18	61.36
2	प्रा.ख. महोबा	कबरई कुनेहटा मार्ग के कि0मी0-1 से परसहा सुरहा सम्पर्क मार्ग	437 /2022/1032 रासनि/23-1-2022/001-48 आरएसएन/2022 टीसी-1 दि 25.11.2022-दिनांक-25-11-2022	82.87 82.87 66.84 0.01 **82.86**	20.72	62.14	46.40
3	प्रा.ख. महोबा	महोबा से बीजानगर दमौरा पचहरा पसवारा मार्ग	50 /2023/1356 रासनि (13)/23-1-22/001-58 आरएसएन/2022 टीसी-3 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	86.33 86.33 68.41 0.01 **86.32**	21.58	64.74	48.33
4	नि.ख.-1 चित्रकूट	देउधा इटवा सम्पर्क मार्ग के किमी-1(750), 2, 3,4,5(850) एवं 6(800) में मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	46.98 46.98 37.38 3.48 **43.50**	40.68	2.82	2.26
5	नि.ख.-1	मानिकपुर से ऊंचाडीह सम्पर्क	437 /2022/1032 रासनि/23-1-	68.99	17.25	47.67	38.13

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	चित्रकूट	मार्ग के कि0मी0 1,2,3,4,5,6 व 7 में विशेष मरम्मत का कार्य।	2022/001-48 आरएसएन/2022 टीसी-1 दि 25.11.2022-दिनांक-25-11-2022	68.99 45.25 4.07 **64.92**			
6	नि.ख.-1 चित्रकूट	राजापुर सरैंया से कौबरा सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 1,2,3,4,5,6,7,8 व 9(500) में विशेष मरम्मत का कार्य।	437 /2022/1032 रासनि/23-1-2022/001-48 आरएसएन/2022 टीसी-1 दि 25.11.2022-दिनांक-25-11-2022	82.33 82.33 53.57 4.86 **77.47**	20.58	56.89	45.51
7	प्रा.ख. चित्रकूट	भरतकूप मानपुर मडफा बघेलाबारी मार्ग	307 /2022/625 रासनि/23-1-2022/003-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-06-10-2022	286.46 286.46 154.76 40.76 **245.70**	143.23	102.47	57.58
8	प्रा.ख. चित्रकूट	भरतकूप मानपुर मडफा बघेलाबारी मार्ग	50 /2023/1356 रासनि (13)/23-1-22/001-58 आरएसएन/2022 टीसी-3 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	207.59 207.59 154.76 2.32 **205.27**	51.90	153.37	82.99
9	प्रा.ख. हमीरपुर	हमीरपुर कालपी मार्ग (4 लेन) में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	197/2020/922 रासनि/23-1-20-90 रासनि/20-दिनांक-26-11-2020	979.98 979.98 846.65 0.50 **979.48**	930.98	48.50	38.80
10	प्रा.ख. हमीरपुर	बबेरू तिन्दवारी सुमेरपुर मार्ग	307 /2022/625 रासनि/23-1-2022/003-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-06-10-2022	476.04 476.04 353.34 1.60 **474.44**	238.02	236.42	189.14
11	प्रा.ख. हमीरपुर	बबेरू तिन्दवारी सुमेरपुर मार्ग	50 /2023/1356 रासनि (13)/23-1-22/001-58 आरएसएन/2022 टीसी-3 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	69.76 69.76 43.85 1.75 **68.01**	17.44	50.57	40.46
12	नि.ख.-2 बांदा	ग्राम अमलीकौर गडौला डेरा से माचाहार टोलिया होते हुये बडकूपाल का डेरा सम्पर्क मार्ग	277 /2023/722 रासनि(6) /23-1-2023/002-58 आरएसएन/2022 टीसी-3 दिनांक 16.03.2023-दिनांक-16-03-2023	45.77 45.77 35.20 0.04 **45.73**	0.92	44.81	35.85
13	प्रा.ख. बांदा	महुआ से बलखेड़ा सम्पर्क मार्ग के किमी 1(300-1000) से किमी 2(0-400) में सी0सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य।	321/2021/1301 रासनि/23-1-21-05 रासनि/21 टी0सी0 - दिनांक-07-12-2021	92.79 92.79 56.80 16.11 **76.68**	56.79	19.89	15.91
14	प्रा.ख. बांदा	नारायणपुर से कलेक्टर पुरवा धौसड़ सम्पर्क मार्ग के किमी-1 से 5(330) में विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	45.50 45.50 25.17 15.43 **30.07**	17.31	12.76	10.21
15	प्रा.ख. बांदा	बबेरू ओरन से कौहार सम्पर्क मार्ग	277 /2023/722 रासनि(6) /23-1-2023/002-58 आरएसएन/2022 टीसी-3 दिनांक 16.03.2023-दिनांक-16-03-2023	44.47 44.47 27.94 9.55 **34.92**	0.89	34.03	27.22
16	नि.ख.-1 चित्रकूट	हन्ना बिनैका सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत एवं आबादी भाग में सी0सी0 मार्ग का कार्य।	246/2021/1062 रासनि/23-1-21-43 रासनि/20-दिनांक-27-10-2021	61.50 61.50 37.94 6.24 **55.26**	46.75	8.51	6.81
17	नि.ख.-1 महोबा	चरखारी मुस्करा मार्ग के किमी-53(250-550) में सी.सी. मार्ग का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	60.37 60.37 53.87 0.11	54.84	5.42	4.34

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
				60.26			
18	नि.ख.-1 महोबा	महोबा-चरखारी-मुस्करा मार्ग	50 /2023/1356 रासनि (13)/23-1-22/001-58 आरएसएन/2022 टीसी-3 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	482.70 482.70 341.28 43.70 439.00	120.67	318.33	184.42
19	प्रा.ख. बांदा	कमासिन पन्नाह मऊ मर्का(अन्य जिला मार्ग) के किमी 4से 22(680) में विशेष मरम्मत का कार्य।	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2-दिनांक-17-12-2021	165.68 165.68 93.05 33.99 131.69	124.86	6.83	5.46
						कुल योग-	941.18

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्का ल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्त्र पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्यों की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि कोई कार्य नगरीय सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित है, तो प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी रहने तक उक्त कार्यों हेतु धनराशि निर्गत न की जाय।

(10) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन क्षेत्रों में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है, उन क्षेत्रों को छोड़कर नवीनीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने होंगे। आदर्श आचार संहिता समाप्ति के बाद सम्पूर्ण क्षेत्रों में नवीनीकरण के कार्य प्राथमिकता पर कराये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 9,41,18,000/- (रूपये नौ करोड़ इकतालीस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-411/2023/1131रासनि(1)/23-1-23/002-03(ए)/आरएसएन-बीएएन/23, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-.नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in